राज्यक्षभा

अतारांकित प्रश्नीसंख्याण2042

11 मई, 2016 को उत्त र के लिए

तैयार इस्पात का उपभोग और आयात

2042. श्री ए. यू. सिंह दिव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष तैयार इस्पात के उपभोग और आयात में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सस्ते इस्पात उत्पादों के पाटन का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सस्ते विदेशी इस्पात के विपरीत घरेलू उद्योगों के संरक्षण हेतु रक्षोपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तघर

इस्पाबत और खान राज्यब मंत्री (श्री विष्णुय देव साय)

जी हां । गत वर्ष के दौरान पूर्ण फिनिश्डप इस्पायत की खपत और आयात में वृद्धि हुई है :(क), जैसा कि ब्यौधरा नीचे दिया गया है :-

पूर्ण फिनिश्डच इस्पा त (एमटी में)		
वर्ष	खपत	आयात
2015-16*	80.45	11.71
2014-15	76.99	9.32
वृद्धि %	4.5	25.7
स्रोत: जेपीसी * अनंतिम		

) से (ख)घ(: इस्पामत नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका देश में इस्पासत उद्योग के विकास के लिए एक सुविधा दाता के रूप में सीमित होती है। अतएव, इस्पामत की विभिन्नह श्रेणियों के उत्पा दन, निर्यात, आयात इत्याेदि से संबंधित निर्णय विभिन्नि घटकों यथा घरेलू बाजार में इस्पाात की विभिन्ने मदो आपूर्ति - ग्रेडों की मांग/, मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव-, आयात नियंत्रण इत्याकदि के आधार पर अलगअलग इस्पाूत विनिर्माताओं के एक मात्र निर्णय पर निर्भर करते हैं। घरेलू इस्पांत-उद्योग में विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा सस्तेा आयातों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नालिखित कदम उठाये है :-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्तत इस्पायत का उत्पादन या आयात हो सरकार ने इस्पा त और इस्पा त उत्पातद (गुणवत्तात नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पात और इस्पातत उत्पाद (गुणवत्ता, नियंत्रण) आदेश, 2015, दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) घरेलू इस्पा5त उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्कह की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-

(क) कोयला ब्लाइक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्सन (स्पेलशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पाचत पर बेसिक सीमा शुल्का की उच्चांतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टी ल (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टीमल (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पा द पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पारदों पर यह शुल्कश 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्त, 2015 में पुन: संशोधित करके आयात शुल्क1 फ्लैट स्टीरल पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टी ल पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टीतल पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(v) नवम्ब र, 2014 में रिबार्स का आयात केवल 'इस्पाशत उत्पाशद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2012' के अनुसार सुनिश्चित किया गया था, ताकि बोरोन युक्तक रिबार्स के सस्तेय आयातों को रोका जा सके।

(vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाददों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vii) सरकार ने मार्च, 2016 में 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वाटयलों में नान अलॉय और अन्य) अलॉय स्टीषल के हॉट रोल्ड2 फ्लैट उत्पासदों पर 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्कऔ लगायाहै।

(viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पाटत उत्पाअदों पर न्यूनतम आयात मूल्यां (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम परकरने की अनुमति नही होगी।

(ix) इस्पायत क्षेत्र में दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने जुलाई, 2015 में 5:25 स्कीयम लागू की है जिसके द्वारा अवसरंचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को ऋण चुकाने के लिए लंबी अवधि यथा 25 वर्ष की अनुमति परियोजना के आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायत अवधि के आधार पर 5 वर्षों के आवधिक पुनर्वित्तकपोषण के साथ होगी।

***